प्रेस नोट दिनांक 09.09.2023

(1). आज दिनांक 09.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गये।

(2). आज दिनाँक 09.09.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(3). पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री वीर प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त जयनारायण पुत्र मुन्नीलाल निवासी डांडी अहिरान मजरा चुरेह केसरुवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियन के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

बरामदगी

20 क्वार्टर देशी शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय थाना मानिकपुर
2. आरक्षी विमलेश

(4). आज दिनाँक-09.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा न्यायालय परिसर का भ्रमण कर लोक अदालत के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु डियूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारीगणों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये । इसी क्रम में पुलिस उपाधीक्षक एलआईयू श्री अनुज मिश्र के पर्यवेक्षण में डॉग स्क्वॉयड एवं एलआईयू चित्रकूट की संयुक्त टीम द्वारा सुरक्षा सतर्कता के दृष्टिगत मा0 न्यायलय परिसर में संदिग्ध वस्तुओं/व्यक्तियों की सघन चेकिंग की गई।

(5). आज दिनाँक-09.09.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में थाना पहाड़ी एवं थाना सरधुवा में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया । महोदय द्वारा आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर सम्बन्धित को शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देश दिये गये । भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण में राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर जांचकर निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया ।

इस दौरान थाना पहाड़ी में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री नागेन्द्र कुमार नागर एवं थाना सरधुवा में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री दीपेन्द्र सिंह तथा राजस्व एवं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे थानाध्यक्ष भरतकूप श्री सूबेदार बिन्द तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 121/2023 धारा 323,504,506,376 ipc व 5/6 पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त कंचन पुत्र स्व0 प्रेमचंद निवासी तमोलिया मोहल्ला टिटिहरा रोड भरतकूप थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. थानाध्यक्ष भरतकूप श्री सूबेदार बिन्द
2. आरक्षी भास्कर शुक्ला

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री भास्कर मिश्रा के मार्गदर्शन में वरि0उ0नि0 श्री रामवीर सिंह एवं उनके हमराही द्वारा एसटी नं0 633/2016 धारा 60 आबकारी अधिनियमके वारण्टी अभियुक्त रघु सोनकर पुत्र बाबा सोनकर निवासी तहसील के पीछे कस्बा व थाना राजापुर को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. वरि0उ0नि0 श्री रामवीर सिंह थाना राजापुर
2. आरक्षी अंकित शुक्ला

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री दीपेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में उ00नि श्री शिवमणि मिश्रा तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त शिवपाल पुत्र देव कुमार निवासी ग्राम विलास थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 42 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

(1) उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा थाना सरधुवा
(2). उ0नि0 श्री सत्यम पति त्रिपाठी थाना सरधुवा
(3). उ0नि0 श्री दिनेश पांडे थाना सरधुवा
(4). आरक्षी बब्बू राजा
(5). आरक्षी अमित सिंह
(6). महिला आरक्षी शिल्पी विद्रोही

(9). आज दिनाँक 09.09.023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला की अध्यक्षता में क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय की उपस्थिति में कर्वी कोतवाली के क्षेत्रान्तर्गत बढ़ती चोरियों एवं उनका समयबद्ध निवारण न होने के दृष्टिगत कर्वी कोतवाली के समस्त पुलिस बल के कार्यों की समीक्षा की गई एवं महोदया द्वारा जिन बीट कांस्टेबल द्वारा शिथिल पर्यवेक्षण किया जा रहा है एवं जो रात्रि गस्त नहीं कर रहे हैं उनके साथ दण्डात्मक कार्यवाही के आदेश दिए गये तथा सभी बीट कांस्टेबल एवं हल्का इंचार्ज को दिशा निर्देश दिए गए कि किस प्रकार नियमित रूप से अपने हल्के में जनता से संवाद स्थापित करना है संपर्क सूत्र स्थापित करने है और कड़ी निगरानी हेतु मुखबिर तैयार करने हैं एवं नियमित रूप से अपने हल्के के सभी क्षेत्रों में भ्रमण करना है रात्रि गस्त एवं पिकेट की कार्यवाही करनी है ताकि बढ़ते हुए अपराध पर अंकुश लगाया जा सके।